भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2608

दिनांक 04.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

भारी उद्योग क्षेत्र में प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार

2608. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की पहलों के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र और भारी उद्योग क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में गिरावट का आकलन किया है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारी उद्योग क्षेत्र में सृजित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगारों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में नई औद्योगिक परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): चूंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार उद्योग राज्य का विषय है, अतः भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) देश के किसी भी भाग में भारी उद्योगों में सृजित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार से संबंधित कोई केंद्रीकृत आंकड़ा नहीं रखता है।

हालांकि, भारी उद्योग मंत्रालय दो स्कीमों, नामतः राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम तथा ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिनकी अधिसूचना क्रमशः दिनांक 09.06.2021 एवं 23.09.2021 को जारी की गई थी। इन स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार सृजित रोजगार का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

स्कीम का नाम	सृजित रोज़गार					
	2021-22	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**कुल (स्कीम-वार)**
ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो)	7,177	11,909	11,416	14,485	22,833	**67,820**
राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम	-	404	214	222	405	**1,245**
कुल (वर्ष-वार)	**7,177**	**12,313**	**11,630**	**14,707**	**23,238**	**69,065**

(ग): मंत्रायल के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ): प्रश्न ही नहीं उठता।

******